पत्रांक - 1377/गो0वि0प्रा0/2019-20

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

सेवा में,

उ0 प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन),
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद,
लखनऊ-226007

दिनांक:-05/10/2019

विषय:-उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ0प्र0 रेरा) में परियोजना (नाम) Palm Paradise Phase-II जनपद-गोरखपुर आवेदन आई0डी0 नं0-ID20611 के पंजीयन के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्वकीय ई-मेल दिनांक 03.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मे0 ऐश्प्रा लाइफ स्पेस्स, जनपद- गोरखपुर द्वारा पाम पैराडाइज फेज-II का रेरा अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन, आई0 डी0 नं0- ID20611 में सलग्न अभिलेखों का परीक्षण प्राधिकरण स्तर पर किया गया।

मे0 ऐश्प्रा लाईफ स्पेस्स, गोरखपुर द्वारा पाम पैराडाइज फेज-II द्वारा स्वीकृत ले-आउट दिनांक 10.01.2019 व सचिव महोदय के कायदिश पत्रांक 903/गो0वि0प्रा0/2018-19 दिनांक 14.01.2019 तथा ग्रुप हउसिंग (4 ब्लाक) का स्वीकृत मानचित्र सं0-938/15 व मुख्य अभियन्ता द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र दिनांक 10.06.2016 प्राधिकरण द्वारा निर्गत किया गया है।

05/10/19

(संजय कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :-

1) सचिव महोदय,गो0वि0प्रा0 को सादर सूचनार्थ।

मुख्य अभियन्ता,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

कार्यालयः गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।

पत्रांकः 903 / गो0वि0प्रा0 / 2018–19, दिनांकः 15/01 / 2019

कार्यादेश

सेवा में,

मेसर्स एस्प्रा लाईफ स्पेशेज,
जरिये निदेशक श्री अपून सराफ,
बलदेव प्लाजा, गोलधर, गोरखपुर।

महोदय,

कृपया आप द्वारा एस्प्रा लाईफ स्पेशज जरिये निदेशक श्री अनूप सराफ व अन्य के नाम से मोहल्ला–तालरामगढ़, गोरखपुर के अन्तर्गत तलटप मानचित्र संख्या–1303/2017 प्राधिकरण मे स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति दिनांक 04.12.2017 के उपरान्त प्राधिकरण की बोर्ड 108वीं के बैठक के मद संख्या–108.11 में लिये गये निर्णय के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी है।

तकनीकी रूप से स्वीकृत तलपट पर आप द्वारा प्रस्तुत आगणन एंव विशिष्टियों का परीक्षण करने के उपरान्त दिनांक 09.01.2019 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। आप द्वारा समस्त विकास कार्य प्रोविजनली रूप से स्वीकृत ले–आउट तथा प्रस्तुत किये गये विशिष्टियों एंव आगणन के अनुसार ही सम्पादित कराया जायेगा। प्रोविजनली स्वीकृत ले–आउट की एक प्रति संलग्न है, जिसके अनुसार आपको प्रस्तावित स्थल पर विकास कार्य कराया जाना है, जिसमें कोई भी परिवर्तन बिना प्राधिकरण की अनुमति के नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आप द्वारा स्थल पर कोई भी निर्माण/विकास कार्य मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेशों के अन्तर्गत ही किया जायेगा। उपरोक्त शर्तो के साथ एंव पूर्व प्रेषित पत्रांक 685/मा0अनु0/ गो0वि0प्रा0/ 2017–18, दिनांक 22.01.2018 द्वारा सूचित शर्तो के अधीन आपको स्थल पर विकास कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

सचिव,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–

1– उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– मुख्य अभियन्ता/प्रभारी अधिकारी नियोजन, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को उक्त स्वीकृत ले–आउट की एक प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है, कि उक्त तकनीकी रूप से स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
3– अधिशासी अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता(मानचित्र/वाद), गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5– मानचित्रक को अनुपालनार्थ प्रेषित।

सचिव,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।